

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौड़ी।

संख्या 166 /2-2स्था0(308)स्थानान्तरण-2018/ 2017-18 दिनांक 21, अप्रैल, 2018

:: कार्यालय-ज्ञाप ::

जिला विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के पत्र संख्या 291/दिनांक 21 अप्रैल, 2018 द्वारा जनपद में स्थित विकास खण्ड बेरीनाग एवं गंगोलीहाट को सुगम से दुर्गम कर संशोधित प्रस्ताव आयुक्तालय को उपलब्ध कराया गया। तदक्रम में उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/ 2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या 01 वर्ष 2018)" की धारा 5(1) के आलोक में आयुक्तालय, ग्राम्य विकास के कार्यालय ज्ञाप संख्या 114/2-2स्था0(308)स्थानान्तरण-2018/2017-18 दिनांक 14 अप्रैल, 2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 120/2-2स्था0(308)स्थानान्तरण-2018/2017-18 दिनांक 17 अप्रैल, 2018 से प्रसारित ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विकासखण्ड मुख्यालयों के चिन्हीकरण के संदर्भ में जनपद पिथौरागढ़ के निम्न विकास खण्ड मुख्यालयों का संशोधन करते हुए चिन्हांकन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	संशोधित निर्धारण	
			सुगम क्षेत्र	दुर्गम क्षेत्र
1	पिथौरागढ़	1. बेरीनाग	00	दुर्गम
		2. गंगोलीहाट	00	दुर्गम
योग			00	02

2- आयुक्तालय, ग्राम्य विकास के उक्त वर्णित तद्विषयक कार्यालय ज्ञापों को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत समस्त जनपदों में सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित अन्य विकासखण्डों का चिन्हीकरण यथावत रहेगा।

(डॉ० पंकज पाण्डेय)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

संख्या:- 166 /2-2स्था0(308)स्थानान्तरण-2018/ 2017-18 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी एवं समस्त आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

आयुक्त,
ग्राम्य विकास।